

## भारत सरकार खान मंत्रालय

## भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्सरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट् -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005 फोन- 0771--2282530/2285590/95 <u>मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com</u>

## No- CHG/BST/LST-12/NGP

दिनांक -27//12/2017

प्रेषिति- Smt. Usha K Rajpuria, Mine Owner

B-301,C.G. Heights, Daldal seoni (Mova),

P.O. & Distt.-Raipur(C.G.),

Chhattisgarh-492001

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित आपकी राजूर चूना खदान 1.53 हे. में खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के

नियमो के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 07/12/2017 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा करने पर पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लंघन किया है।

| नियम       | उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा  |
|------------|--|
| 11(1)      | The Modified Mining Plan was approved vide letter no.BST/LST/MPLN-1057/2016-RAI dated 08.12.2016 and following deviation was observed during inspection  |
|            | 1. It was proposed to drill 02 nos core drill holes of 30 meter depth each proposed in 2017-18 but till date no drilling started nor any intimation for such drilling given.   |
| 45         | While scrutiny of the Annual return submitted for 2016-17 it is observed that ex-mine price was given nil, Geological reserves given Nil, no information about mining engineer, Geologist, Manager.                            |
| Rule<br>55 | Employment of geologists and mining engineers(1) For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules,– 3. every holder of a mining lease shall employ, in case of– |
|            | (iv) category 'B' mines, a Part-time mining engineer and a Part-time geologist; But the mine is not having mining engineer nor Geologist employed.   |

- <sup>2</sup> इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंड्नीय अपराध है1 एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवम,45(7)(क) के अंतर्गत
  - (क) खान की सारी खनन संक्रियाए बंद की जा सकती है1
  - (ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
  - (ग)खनन पट्टे को निरस्त की जा सकती है या निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है1
- 3 अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंधनो का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे1

भवदीय

(राजेश कुमार दास) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

## प्रतिलिपि – for information please

- खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर